an>

Title: Regarding missing railway employees in Jalaun Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके संज्ञान में एक दुखद समाचार लाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र उरई स्टेशन पर, जो उत्तर-मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के अंतर्गत आता है, एक सीनियर सैक्शन इंजीनियर आदित्य प्रकाश, एसएनटी रेलवे विभाग में काम करता था और ट्रेनिंग लेने के लिए सिकंदराबाद गया था। ट्रेनिंग के बाद काम से दिल्ली आया और दिल्ली से वापिस लौटते हुए करारी स्टेशन पर उसका अपहरण कर लिया गया। दिनांक 12/5/2014 को अपहरण किया गया। नवाबाद झांसी थाने में अपराध संख्या-143, 2014 धारा 304, 506 और 364 में मामला दर्ज किया गया है। उसके अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं ने उसकी पत्नी को फोन करके तीस लाख रुपए की मांग की। इसका वीडियो टैप करके सारे अधिकारियों को सुनाया गया लेकिन आज तक जांच में कुछ नहीं हुआ है। हमने विभाग में जांच की मांग रखी थी, उसमें डीआरएम ने उनकी पत्नी को पीएफ फंड के माध्यम से कुछ पैसा तो दे दिया, लेकिन इस केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आदित्य प्रकाश दलित परिवार से संबंध रखता है और रेलवे स्टेशन पर अच्छा काम कर रहा था।

मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि विशष्ोÂा तौर से उत्तर प्रदेश में झांसी में अपहरण हुआ, इसकी जांच की जानी चाहिए। एक दूसरे अपरहरण केस में श्रीमती रजनी यादव ने प्रार्थना पत्र दिया था। उनके पति राजेन्द्र सिंह यादव का भी अपहरण हुआ है। उनका भी आज तक कोई अता-पता नहीं है। उनके परिवार के लोग मुझसे मिलकर कहते हैं कि इस केस की जांच होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के अंदर दोनों घटनाएं हुई हैं। केंद्र सरकार इन घटनाओं का संज्ञान ले और सीबीआई से जांच कराए।

माननीय अध्यक्ष :

कुंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चंदेल और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विष्Âाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।